

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. नंदराम पुत्र घमण्डाराम जाति जाट निवासी नि. रतनपुरा (कोनरा) तहसील चौहटन जिला बाड़मेर	1. अबदु पुत्र नागुखां (फौत) 1/1 वाई खान 1/2 अकलू खान 1/3 अमीन पि. अबदु खां जाति मुसलमान निवासी कोनरा 2. पूनमा पुत्र हिमता जाति सुथार 3. मदरूफ पुत्र भाना 4. भैरा पुत्र भीया जाति जाट 5. वीरा पुत्र भाभू उर्फ बाबू जाति भील निवासी रतनपुरा तहसील चौहटन

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते करने
नेखमबंदी बाबत।**

राजस्व आवेदन 110/2022

दिनांक 28.04.2025

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र कोनरा मौजा रतनपुरा के खेत खसरा सं. 342/24 रकबा 25.06 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मन तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यक होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

प्रार्थी कमिश्नर को कमिश्नर फीस रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



कमांक/भू.अ./2025/548-51

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, चौहटन
2. प्रार्थी नंदराम पुत्र घमण्डाराम।
3. विप्रार्थी अबदु पुत्र नागुखां फौत के का.मु. व अन्य।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धोरीमना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 28/4/25

(कु. चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन